

कार्यालय: जिला पारम्परिक शिक्षा अधिकारी JHUNJHUNUN, राजस्थान

संग्रह 3419

दिनांक 21/08/2018

सचिव

प्रबोध समिति

RPS Chirawa

विवर :- राजस्थान में पारम्परी शिक्षण संस्था (साम्बन्ध, राजस्थान अनुसार और सेवा की ओर) (अंतरिक्ष) विद्यालय, 2011 के विवर ६-के उपर-विवर(4) के तहत विद्यालय के लिए साम्बन्ध संस्था एवं

अपको आंदोलन पर क्रमांक 24775 और हस उम्मदा में संस्था/विद्यालय के सभे किसी भी ऐसे परामर्शदाती पर अवश्यक निरीक्षण के समर्थन में, RPS Chirawa एवं Near New Bus Stand, Chirawa, District - Jhunjhunu सामने पंथायता गढ़ी स्थानीय विद्यालय CHIRAWA CITY (NP) स्कॉल CHIRAWA को शिक्षक कर 2018-19 से विभजनातार साम्बन्ध संस्था करना।

साम्बन्ध संस्था का प्रवर्त्तन	नवीन साम्बन्ध संस्था (I-E)
साम्बन्ध संस्था का भाषा	English
संस्था के कोई से ही क्रमा ७ तक १५ के सामान की अनुमति	Yes

- साम्बन्धा के लिए संस्कृती विस्तारणीय नहीं होती और जिसी भी तरह क्रमा ८ से ज्ञान साम्बन्धांबद्धता की बड़ई विद्यालय अंतरिक्ष नहीं होती।
- विद्यालय, विभजन और अनिवार्य वात विवर एवं अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का अंतिम अधिनियम में 35) और राजस्थान विभजन और अनिवार्य वात विकास का अधिकार विकास, 2011 के उपराखे का पालन करेगा।
- विद्यालय क्रमा-1 में या, व्याख्यातिः, पूर्ण विद्यालय क्रमा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस क्रमा की इव प्रत्येक जीवी क्रमा तक अतः - प्रोफे के फलांगर कर्ता और आमदारप्रत्येक जमूद से अवधिक्षित बासकर्ता को प्रदान करेगा और उसकी रक्षणित तक विभजन और अनिवार्य विकास उपलब्ध करायेगा। ऐसा क्रमा के लिए विद्यालय एक पृष्ठक विकास वात करेगा।
- प्राप्त-3 में लिखित वातको के लिए विद्यालयों से वाजावाजन विभजन और अनिवार्य वात विवर एवं अधिकार विकास, 2011 के उपराखे के अनुसार में प्रतिशृঙ्खला की जायेगी।
- सोलटीक्ट्यूल्यूपर्ट और प्रतीक्षित फीस (Capitation Fee) अवधिक्षित नहीं करेगा और बासक या उसके बदलायिता या बदलाक को जिसी छाटाई (Screening) घोषित कर पार नहीं कराएगा।
- विद्यालय साथु के बाहर के आवास में जिसी बासक के प्रतीक्ष ते इनकारा नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की पापा 15 के उपराखों का पालन करेगा।

विद्यालय का सुनिश्चित करेगा कि

(i) विद्यालय में विभिन्न जीवी बासक हो, विद्यालय में उसकी प्रादीनिक विकास की समर्पित तक जिसी क्रमा में रोक या

विद्यालय से निलंबित नहीं किया जाएगा;

(ii) बड़ई बासक शान्तिक दृढ़ या वास्तविक उन्नीकृत कर पार नहीं होगा;

(iii) जिसी बासक के उसकी व्याख्यातिक विकास की समर्पित तक जिसी बासक की प्रतीक्ष उत्तीर्ण करना अवधिक्षित नहीं होगा;

(iv) अधिनियम विवर पूरी करने वाले प्रत्येक बासक को राजस्थान विभजन और अनिवार्य वात विकास का अधिकार विकास, 2011 के विकास 23 के अधीन वाया- अधिकारित प्रशान्त पद पद्धति किया जाएगा;

 सचिव,
 राजस्थान प्रबोध संस्कृति
 विभाग, जिला चुनौती (राज.)

विद्यालय - RPS Chirawa (P60631)

प्रोटोकॉल नंबर : 24775

संस्कार संख्या : RJUJN25565

प्राकृत-2

कार्यालय: जिला प्राधिकारी विभाग अधिकारी JHUNJHUNUN, राजस्थान

- (V) 2009 के अधिनियम के उपरोक्त के अनुसार विद्यालयातीतीर्षण आवश्यकता के विद्यार्थी को समिलित किया जाए;
(VI) अन्यथा, 2009 के अधिनियम की पाँच 23 की उप-वाचा(1) के अधीन अधिकारित अनुसार महसूस भवित गई किये जाए;
(VII) अन्यथा, 2009 के अधिनियम की पाँच 24 की उप-वाचा(1) के अधीन विविध उनके बहिर्भूत का निर्धारण करते हैं;
और
(VIII) अन्यथा के बहिर्भूत को नियमी अध्यापन विद्यार्थीरी में नहीं समझते।
7. विद्यालय, समृद्धि प्राप्तिकर्ता द्वारा अधिकारित प्रश्नपत्र (Questionnaire) के आधार पर पाठ्य विषय (Syllabus) का अनुसारण करें।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की पाँच 19 में वाय-विनिर्दिष्ट गान और गानकी या अनुशासन बनाता है वह आगे भी बनाता रहेगा।
9. विद्यालय विद्यार्थी के बीच और बाहर उसी नाम से बोहे और गान्यता प्राप्त कराएं नहीं चलायी जाएगी।
10. विद्यालय बनाने वा अन्य संरचनाएँ या गैरिफ्ट बंजारा और बौद्ध विश्वास के प्रतीक्षन के लिए उपयोग नहीं करेंगे।
11. विद्यालय, सोलाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1980 (1980 का बंदोबस्तु अधिनियम छं 21), राजस्थान सोलाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रेशन कियी सोलाइटी द्वारा या संस्कार पूर्ण कियी गयी के अधीन गठित विद्यालय नाम न द्वारा द्वया प्राप्त कराया जाएगा।
12. विद्यालय, नियमी व्यापति, अविस्तरों के समूह वा संग्रह वा विवरों अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए नहीं बजाया जाएगा।
13. विद्यालय वार्ड एवं द्वया लेडी की संपर्क और उन्हें प्रभागित किया जाएगा और विद्यार्थी के अनुसार समृद्धि लेका विभाग विद्यार्थी को जाएगा। अन्यके सेवा विभाग की एक प्रति विद्यार्थीका विद्यार्थी अधिकारी को प्रति एक बड़ी जाएगी।
14. इस विद्यालय के लिए पर व्यवहार के लिए एक एवं एक द्वया का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, एकी विद्यार्थी और द्वया द्वया जिनकी विद्यार्थी, प्राप्तिकर्ता विद्यालय विद्यार्थी प्राप्तिकर्ता विद्यार्थी द्वया द्वया द्वया पर उपयोग भी जाए और रायपत्र सरकारी/स्थानीय अधिकारी के एक विद्यार्थी का वापसी करेगा जो गान्यता में खत्ती करे गान्यता पूर्ण करने वा विद्यालय बनावश्वन्त में शुरूआती करने के लिए उन्हें द्वया किये जाएं।
16. अविस्तरों के रजिस्ट्रेशन का नामांकनकरण, दावे कोई हो, दुनियिका करें।
17. विद्यालय विद्यालय के दीक्षांगिक कालेन्डर वा उपरोक्त करेंगा।
18. अन्य की जो एक राजस्थानस्थानीय प्राप्तिकर्ता द्वया द्वया जाएगी, ताकि होंगी।

जिला प्राधिकारी विभाग अधिकारी
जिला विद्यार्थी अधिकारी
प्राप्तिकर्ता द्वया, द्वया (राज.)